न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02/2021 (2021/13) वाद पत्र

अनवान

1—पारसदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि माधुलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल कोढियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितोड़गढ़

वादीया

बनाम

1—हेमन्त आत्मज मदनलाल शर्मा जरिये माता मोहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
2—नरेश आत्मज मदनलाल शर्मा जरिये माता मोहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
3—हेमा पुत्री मदनलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मोहनीदेवी पत्नि मदनलाल शर्मा नि.पनोतिया हाल भैरूजीकाचौक कपासन जि. चितोड़गढ़
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद— अधिवक्ता वादीगण
2. मुकेश चौधरी — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 05.08.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य होकर हिन्दु विधि से शासित होते है जो सभी सोहनलाल आत्मज नारायण शर्मा के वारीसान है। ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पड़दादा व प्रतिवादी संख्या 4 के दादीया सुसर नारायण शर्मा के खातेदारी अधिकार की साबिक कृषि आराजी संख्या 551 खाता संख्या 111 व आराजी संख्या 335/1, 335/2 खाता संख्या 112, आराजी संख्या 9, 930/3 खाता संख्या 113, आराजी संख्या 769/1 खाता संख्या 108, आराजी संख्या 357 खाता संख्या 109, आराजी संख्या 472 खाता संख्या 110, आराजी संख्या 914 खाता संख्या 104, आराजी संख्या 930/2 खाता संख्या 105, आराजी संख्या 604 खाता संख्या 106, आराजी संख्या 890/1, 844, 894/1च, 888/1, 646, 443, 548, 556, 645, 655, 853, 858, 916, 856/2 खाता संख्या 107 पर अन्य सहखातेदारान के साथ स्थित थी। उनकी मुत्यु होन पर नामान्तरकरण संख्या 1150 से वादीया के पिता के नाम दर्ज हुई। उक्त वर्णित भुमियो के नवीन भू प्रबन्ध होने से नवीन नम्बर 544, 585, 586, 1204, 1210, 1327, 1328, 1337, 1546, 1555, 1559, 1561, 1598, 1631 कुल किता 14 कुल रकबा 4.74 है0 भूमि खाता संख्या 480 पर व आराजी संख्या 982, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 481 पर तथा आराजी संख्या 1562 खाता संख्या 482 पर एवं आराजी संख्या 1693, 1697, 1699 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है0 खाता संख्या 483 पर एवं आराजी संख्या 1004 खाता संख्या 484 पर तथा आराजी संख्या 1122, 1123, 1124, 1125 कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 खाता संख्या 485 पर एवं आराजी संख्या 1207 खाता संख्या 486 पर एवं आराजी संख्या 1465 खाता संख्या 487 पर तथा आराजी [illegible] 535, 542, 543 कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 खाता संख्या 48[illegible] आराजी संख्या 1278 रकबा 0.39 है0 खाता संख्या 489 पर आराजी संख्या 1548 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 502 पर दर्ज है व [illegible] किये गये। उक्त वादवर्णित भूमिया वादीया की मोरूषी है जिनमें [illegible]या का जन्म से ही [illegible] निहित है। सोहनलालजी के 1 वादीया पुत्री व 1 पुत्र मदनलाल है जिसमें मदनलाल की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 है जिनका वादवर्णित आराजियात में 1/2 हिस्सा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

वादवर्णित भूमियो में सोहनलालजी का 1/3 हिस्सा है जिससे वादीया का 1/6 निहित है। जिसके खातेदारी घोषणा वादीया करवाने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 4 ने वादीया की अनुपस्थिति में वादीया के पिता सोहनलालजी की मानसिक व शारिरीक स्थिति ठीक नही होने का नाजायज फायदा उठाते हुए दिनांक 02.04.2019 को उक्त वाद वर्णित आराजियात व अन्य सम्पतियो की गिप्ट डीड अपने पक्ष में निष्पादित करवा दस्तावेज पंजीयन करवा लिया गया जो वादीया के मुकाबले आरम्भ से ही शुन्य एवं निष्प्रभावी है। प्रतिवादी 4 ने वादीया के पिता की मानसिक व शारीरिक स्थिति ठीक नही होने का नाजायज फायदा उठाकर अवैध एवं धोखेस्पद तरीके से वाद वर्णित सम्पतियो में निहित सोहनलाल के सम्पूर्ण हिस्से की गिप्ट डीड अपने पक्ष में, (वादीया का हिस्सा होते हुए भी तन्हा रूप से) निष्पादित करवा पंजीबद्व करवा ली है जिसके आधार पर वादीया को वादवर्णित भूमियों में निहित उसके हक व हिस्से की भूमियों से बेदखल करने उन्हे खुर्द बुर्द करने एवं उन्हे हस्तान्तरित करने की धमकिया दे रही है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व ताफैसला मूलवाद के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीया की सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार की घोषणात्मक की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमाई जावे कि वाद वर्णित आराजियात जो वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अकिंत है मे निहित सोहनलालजी के हिस्से में वादीया का 1/2 हक व हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा तदनुसार वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में सोहनलालजी की विरासत में 1/2 हिस्से से खातेदार के रूप में दर्ज कराया जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण उक्त वादवर्णित आराजियात में निहित सोहनलालजी के हिस्से में निहित वादीया के 1/2 हक व हिस्से की भूमियो से वादीया को बेदखल नही करे व भूमि खुर्द बुर्द नही करे तथा किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस या अन्य किसी तरीके से हस्तान्तरित नही करे तथा वादीया को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट, व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करे न अन्य करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 15.01.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 5 तहसीलदार रायपुर फौरमल पक्षकार है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब में वादपत्र में वर्णित तथ्यो का अस्वीकार करते हुए कथन किया कि वादीया ग्राम पनोतिया की निवासी नही होकर ग्राम कोढियाखेड़ी तहसील कपासन की निवासी है। वादीया के दादा के नाम दर्ज सहखातेदारी के रूप में दर्ज हो वह स्वयं साबित करावें। वाद वर्णित भूमियों में वादीया ने अपना हिस्सा जर जैवर व मायरा लेकर प्राप्त कर लिया अब कोई हक हिस्सा वादीया का शेष नही है। उक्त भूमि में वादीया ने सीधे ही 1/2 हिस्सा होना बताया है जबकि वादीया ने यह नही बताया कि उक्त भूमि सोहनलालजी को उनकी बहने सायरी, लेहरी, शान्ति, सीता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग से दी गई भूमि है जो पुश्तैनी नही होकर स्वअर्जित भूमियां है। उक्त भूमियों को सोहनलाल ने विपक्षी संख्या 4 को रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करवा उक्त विवादग्रस्त भूमि का मालिकाना हक प्रतिवादी संख्या 4 को दिया है। वादीया ने तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है जबकि नारायण [illegible] छोड़ी गई सम्पति में सोहनलाल का 1/7 हिस्सा बनता है एवं शेष हिस्सा [illegible] दिया है। जब वादीया का कोई हक हिस्सा शेष नही बचा है [illegible] का [illegible] सोहनलाल ने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित करा दिया है और जब दान पत्र [illegible] द्वारा निरस्त नही कर दिया जाता है तब तक वादीया का कोई हक हिस्सा उक्त वादग्रस्त भूमि में नही बनता है। सोहनलालजी की सम्पूर्ण देखभाल, उनके खर्चे, उनकी बिमारी का ईलाज सभी कार्य प्रतिवादी संख्या 4 के द्वारा कराये गये है जिससे ही सोहनलाल प्रसन्न होकर उनकी सम्पति में कोई विवाद नही हो इसके लिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

जिवित अवस्था में ही गिप्ट डीड विपक्षीया के पक्ष में कराया गया है। इसके अलावा भी वादीया ने अपने हक व हिस्से को छोड़ने के लिये विपक्षी से 40000 / —रूपये व एक तोला सोना व लाखो रूपये के कपड़े लते व मेरे ससुर का सारा कियाकम प्रतिवादीगण द्वारा कराया गया जिससे वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में दिनांक 05.08.2021 को दौराने सुनवाई उभयपक्ष अधिवक्ता की उपस्थिति में वादी एवं प्रतिवादी दोनो पक्ष उपस्थित जिन्होने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस पर दोनो अधिवक्ताओ ने अपने अपने पक्षकारान की पहचान कर अपने हस्ताक्षर किये मूल समझोता पत्र प्रस्तुत होने पर समझौता पत्र में वर्णित तथ्यो से दोनो पक्षो को अवगत कराया गया जिस पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा समझौता पत्र में वर्णित आराजियात मे से वादीया को 1 / 2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करने में प्रतिवादीगण सहमत है और इसी अनुसार वाद निस्तारित करने का निवेदन करते हुए न्यायालय कार्यवाही विवरण (प्रोसेडिंग) पर अपने हस्ताक्षर किये और इसी के साथ दोनो अधिवक्ताओ द्वारा भी समझौते अनुसार वादीया को 1 / 2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वाद को निस्तारित करने की सहमति दी है।

मैने पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वाद वर्णित आराजियात वादीया के पिता के नाम की भूमि है जिसमें वादीया का हक हिस्सा निहित है किन्तु मूल खातेदार सोहनलालजी द्वारा सम्पूर्ण भूमि की गिप्ट डीड प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित कराने से वादीया द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीया के पिता मौरूषी जायदाद है जिसमें वादीया का 1 / 2 हिस्सा निहित है और प्रतिवादी 1 से 4 का 1 / 2 हिस्सा निहित है और इसी हिस्से अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 अपने पक्ष में गिप्ट की गई भूमि मे से 1 / 2 हिस्सा की भूमि वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित करने की सहमति दी है। ऐसी स्थिति में वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद समझौते अनुसार स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन नम्बर 544, 585, 586, 1204, 1210, 1327, 1328, 1337, 1546, 1555, 1559, 1561, 1598, 1631 कुल किता 14 कुल रकबा 4.74 है0 भूमि खाता संख्या 480 पर व आराजी संख्या 982, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 481 पर तथा आराजी संख्या 1562 खाता संख्या 482 पर एवं आराजी संख्या 1693, 1697, 1699 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है0 खाता संख्या 483 पर एवं आराजी संख्या 1004 खाता संख्या 484 पर तथा आराजी संख्या 1122, 1123, 1124, 1125 कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 खाता संख्या 485 पर एवं आराजी संख्या 1207 खाता संख्या 486 पर एवं आराजी संख्या 1465 खाता संख्या 487 पर तथा आराजी संख्या 534, 535, 542, 543 कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 खाता संख्या 488 पर तथा आराजी संख्या 1278 रकबा 0.39 है0 खाता संख्या 489 पर आराजी संख्या 1548 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 502 पर दर्ज है मे निहित सोहनलालजी के हिस्से की सीमा तक की भूमि समझौते अनुसार वादीया को 1 / 2 हिस्से की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1 / 2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिकी जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

05/08/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6—7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—02/2021 (2021/13) वाद पत्र

उनवान

1—पारसदेवी पुत्री सोहनलाल पत्नि माधुलाल शर्मा निवासी पनोतिया हाल कोढियाखेड़ी तहसील कपासन जिला चितोड़गढ़

वादी

बनाम

1—हेमन्त आत्मज मदनलाल शर्मा जरिये माता मोहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
2—नरेश आत्मज मदनलाल शर्मा जरिये माता मोहनीदेवी निवासी पनोतिया तहसील रायपुर
3—हेमा पुत्री मदनलाल शर्मा निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—मोहनीदेवी पत्नि मदनलाल शर्मा नि.पनोतिया हाल भैरूजीकाचौक कपासन जि. चितोड़गढ़
5—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन नम्बर 544, 585, 586, 1204, 1210, 1327, 1328, 1337, 1546, 1555, 1559, 1561, 1598, 1631 कुल किता 14 कुल रकबा 4.74 है0 भूमि खाता संख्या 480 पर व आराजी संख्या 982, 983 कुल किता 2 कुल रकबा 0.34 है0 खाता संख्या 481 पर तथा आराजी संख्या 1562 खाता सख्या 482 पर एवं आराजी संख्या 1693, 1697, 1699 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है0 खाता संख्या 483 पर एवं आराजी संख्या 1004 खाता संख्या 484 पर तथा आराजी संख्या 1122, 1123, 1124, 1125 कुल किता 4 कुल रकबा 0.17 है0 खाता संख्या 485 पर एवं आराजी संख्या 1207 खाता संख्या 486 पर एवं आराजी संख्या 1465 खाता संख्या 487 पर तथा आराजी संख्या 534, 535, 542, 543 कुल किता 4 कुल रकबा 1.91 है0 खाता संख्या 488 पर तथा आराजी संख्या 1278 रकबा 0.39 है0 खाता संख्या 489 पर आराजी संख्या 1548 रकबा 0.06 है0 खाता संख्या 502 पर दर्ज है मे निहित सोहनलालजी के हिस्से की सीमा तक की भूमि समझौते अनुसार वादीया को 1/2 हिस्से की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाद में डिकी आज दिनांक 05.08.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.14 17:44:59 IST
Reason: SelfAttested

05/08/2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा